Neutral Citation No. - 2024:AHC:112011

A.F.R.

Reserved on 6th June, 2024

Delivered on 11th July, 2024

Court No. - 85

Case: - APPLICATION U/S 482 No. - 10718 of 2024

Applicant: - Smt. Kanchan Rawat And Another

Opposite Party: - State of U.P. and Another

Counsel for Applicant :- Azad Khan **Counsel for Opposite Party :-** G.A.

Hon'ble Shiv Shanker Prasad, J.

1. Heard Mr. Azad Khan, the learned counsel for the applicant and the learned A.G.A. for the State as well as perused the record.

2. **Prayer made in this application**

This application under Section 482 Cr.P.C. has been filed with a prayer to direct the court of Principal Judge, Family Court, Ghazipur to pass appropriate order in Misc. Case No. 57 of 2015 (Kanchan Rawat Vs. Braijlal Rawat) under Section 125 Cr.P.C., Police Station-Kotwali Ghazipur, District-Ghazipur and also for a direction upon the above court to pay the interim maintenance allowance of Rs. 80,000/- in favour of the applicants in the interest of justice.

3. Matrix of the Case

The marriage of applicant no. 1, namely, Kanchan Rawat was solemnized with the opposite party no. 2, namely, Brijlal Rawat in accordance with Hindu Rites and Rituals on 01.12.2009. In the said marriage, father of the applicant no. 1 had expend 7 to 8 Lakhs rupees. After marriage, both the couple used to live together with love, peace and pleaser as husband and wife. When such additional demand of dowry was not fulfilled, the in-laws of applicant no.1 used to torture and harass her and the relationship between husband and wife became strained and incompatible

and resultantly, she left the house of her in-laws and started living at her parental house during which she delivered a male child, namely, Gaurav Kumar on 2nd November, 2011. Applicant no.1 and her parents made best effort to convince the in-laws of applicant no.1 to maintain her and her son but they could not do the same. Resultantly, she filed a case under Section 125 Cr.P.C. before the Court of the Principal Judge, Family Court, Ghazipur, which was registered as Misc. Case No. 57 of 2015 (Kanchan Rawat Vs. Brijlal) for grant of maintenance. The applicant no. 1 had also moved an interim maintenance application bearing no. 15B before the court of Principal Judge, Family Court, Ghazipur, which was allowed and a direction has been issued to opposite party no. 2 to pay Rs. 4,000/- per month to the applicants towards maintenance allowance, during the pendency of the case vide order dated 27.06.2017. In compliance of the interim order passed by the Family Court dated 27th June, 2017, opposite party no.2 paid the interim maintenance allowance to the applicants regularly till December, 2021 but in the year 2022, he stopped the payment of such interim maintenance allowance, as directed by the Family Court. Whereafter the applicants made an application before the Principal Judge, Family Court for payment of interim maintenance allowance. On such application being made, opposite party no.2, after laps of one and half year, had given Rs. 4,000/- to the applicants in the court but arrears of such interim maintenance allowance to the tune of Rs. 80,000/- as on 17th December, 2023 has not been paid by opposite party no.2 to the applicants. As a result whereof, the Principal Judge, Family Court directed opposite party no.2 to give Rs. 10,000/- per month to the applicants as interim maintenance allowance towards monthly interim maintenance allowance of Rs. 4,000/- and arrears of interim maintenance allowance of Rs. 80,000/-. However, thereafter opposite party no.2 neither gave arrears of interim maintenance allowance of Rs. 80,000/- nor paid Rs. 10,000/- per month towards maintenance allowance to the applicants.

- 4. Now the applicants have approached this Court by means of instant application under Section 482 Cr.P.C. to pass appropriate orders in Misc. Case No. 57 of 2015 (Kanchan Rawat Vs. Braijlal Rawat) under Section 125 Cr.P.C., Police Station-Kotwali Ghazipur, District-Ghazipur as also to direct opposite party no.2 to pay the arrears of interim maintenance allowance to the tune of Rs. 80,000/- to the applicants.
- 5. Before considering the present application on merits by the Court, learned A.G.A. has raised preliminary objection to the maintainability of the present application under Section 482 Cr.P.C. by submitting that basically the applicants by means of the present application seek for execution of the interim order granted by the Principal Judge, Family Court awarding interim maintenance allowance in a case instituted under Section 125 Cr.P.C. but this Court in exercise of powers under Section 482 Cr.P.C. cannot pass such order for execution of an order passed under Section 125 Cr.P.C which is a self-code and a judicial order. He, therefore, submits that the present application is not maintainable and liable to be dismissed. The proper remedy available to the applicants was file an application under Section 128 Cr.P.C. for execution of an order passed under Section 125 Cr.P.C.
- 6. In reply, the learned counsel for the applicants submits that since the order passed by the Principal Judge, Family Court awarding interim maintenance allowance in favour of the applicants in a case under Section 125 Cr.P.C. is an interim order, therefore, no execution application can be filed under Section 128 Cr.P.C. As such, the present application under Section 482 Cr.P.C. is maintainable.
- 7. I have considered the submissions advanced on behalf of the learned counsel for the parties and have gone through the records of the present application.

- 8. The issue which crops up before this Court is as to whether the present application under Section 482 Cr.P.C. basically filed for execution of an order passed under Section 125 Cr.P.C. is maintainable or not?
- 9. Before coming to the above issue, it would worthwhile to reproduce Section 125 Cr.P.C. For ready reference, the same is quoted hereunder:

"125. Order for maintenance of wives, children and parents.

- (1) If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain-
- (a) his wife, unable to maintain herself, or
- (b) his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, or
- (c) his legitimate or illegitimate child (not being a married daughter) who has attained majority, where such child is, by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, or
- (d) his father or mother, unable to maintain himself or herself, a Magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate [* * *]

[The words "not exceeding five hundred rupees in the whole" omitted by Act 50 of 2001, w.e.f. 24.9.2001.], as such Magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the Magistrate may from time to time direct:

Provided that the Magistrate may order the father of a minor female child referred to in clause (b) to make such allowance, until she attains her majority, if the Magistrate is satisfied that the husband of such minor female child, if married, is not possessed of sufficient means. [Provided further that the Magistrate may, during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance for the maintenance under this sub-section, order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such child, father or mother, and the expenses of such proceeding which the Magistrate considers reasonable, and to pay the same to such person as the Magistrate may from time to time direct.

Provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding under the second proviso shall, as far as possible, be disposed of within sixty days from the date of the service of notice of the application to such person. [Inserted by Act 50 of 2001, Section 2 (w.e.f. 24-9-2001).]

Explanation. - For the purposes of this Chapter, - (a)"minor" means a person who, under the provisions of the Indian Majority Act, 1875 (9 of 1875) is deemed not to have attained his majority,(b)"wife" includes a woman who has been divorced by, or has obtained a divorce from, her husband and has not remarried.

- (2) [Any such allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses for proceeding shall be payable from the date of the order, or, if so ordered, from the date of the application for maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be.] [Substituted by Act 50 of 2001, Section 2 (w.e.f. 24-9-2001).]
- (3) If any person so ordered fails without sufficient cause to comply with the order, any such Magistrate may, for every breach of the order, issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines, and may sentence such person, for the whole or any part of each month's [allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be,] [Substituted by Act 50 of 2001, Section 2 for "allowance" (w.e.f. 24-9-2001).1 remaining unpaid after the execution of the warrant, to imprisonment for a term which may extend to one month or until payment if sooner made : Provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the Court to levy such amount within a period of one year from the date on which it became due: Provided further that if such person offers to maintain his wife on condition of her living with him, and she refuses to

live with him, such Magistrate may consider any grounds of refusal stated by her, and may make an order under this section notwithstanding such offer, if he is satisfied that there is just ground for so doing.

Explanation. - If a husband has contracted marriage with another woman or keeps a mistress, it shall be considered to be just ground for his wife's refusal to live with him.

- (4) No wife shall be entitled to receive an [allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be,] [Substituted by Act 50 of 2001, Section 2 for "allowance" (w.e.f. 24-9-2001).] from her husband under this section if she is living in adultery, or if, without any sufficient reason, she refuses to live with her husband, or if they are living separately by mutual consent.
- (5) On proof that any wife in whose favour an order has been made under this section is living in adultery, or that without sufficient reason she refuses to live with her husband, or that they are living separately by mutual consent, the Magistrate shall cancel the order.

in sub-section (1), for the words "five hundred rupees", substitute, "five thousand rupees";

Vide U.P. Act No. 36 of 2000 following has been amended in Section 125 Cr.P.C. in the State of Uttar Pradesh:

- (a) in sub-section (1), for the words "five hundred rupees", substitute, "five thousand rupees";
- (b) after sub-section (5), insert the following subsection, namely:-
- "(6) Where in a proceeding under this section it appears to the Magistrate that the person claiming maintenance is in need of immediate relief for his support and the necessary expenses of the proceeding, the Magistrate may, on his application, order the person against whom the maintenance is claimed, to pay to the person claiming the maintenance, during the pendency of the proceeding such monthly allowance not exceeding five thousand rupees and such expenses of the proceeding as the

Magistrate consider reasonable and such order shall be enforceable as an order of maintenance."

Section 125 of the Criminal Procedure Code provides for the maintenance to the wife, children, and parents. The court after the party has invoked Section 125 of the Code, may order the respondent, that is the husband, to maintain the wife who is unable to maintain herself by providing monthly maintenance to her. However, there is an exception in the provision. For the purpose of providing maintenance to the wife, the husband has to be sufficient enough to support his wife after the separation and at the same time, the wife must not be living in adultery or living separately with her husband without any sufficient reasons. Even if they are living separately in mutual consent, then also the wife will not be entitled to any sort of maintenance. Whenever the judgment is passed in favour of the wife, the court has to make sure that the husband has sufficient means to provide maintenance to the wife. The court also needs to make sure that the wife after the separation does not have enough money to maintain herself.

11. The aim and object of this provision

Under Section 125 of the code, the provision is available for interim maintenance which means that during the pendency of an application in the court of law, the order may be passed by the Magistrate directing the husband to pay the monthly allowances to the wife. However, the Magistrate has the right to alter the amount of the maintenance to be paid, if he thinks that there is a change in the circumstances of the individual who has been paying or receiving the monthly allowances. All such applications of maintenance can be filed in any district where the person who is liable to pay resides or where the wife resides or where the person last resided with the wife or with the mother or with the illegitimate child. The purpose of Section 125 of CrPC is to achieve a social purpose in society.

The purpose of Section 125 CrPC was explained in the case of **K. Vimal Vs. K. Veeraswamy** reported in 1991 SCC (2) 375 where it was held that Section 125 of the Code had been introduced for achieving a social purpose. The aim of this section is the welfare of the wife by providing her with the required shelter, food after the separation from the husband. It was held in this case that if the wife has lived like a wife and the husband had treated her like a wife for all the years before their separation, then, the wife cannot be denied maintenance by her husband.

Grants of maintenance are a metric of social justice. A man's essential obligation is to provide for his wife, kids, parents, close relatives, etc, while they are incapable of providing for themselves. Preventing immorality and poverty while improving the economic standing of women and children is the motive behind the concept of maintenance. The Cr.P.C. requirements obligate a person to fulfil the moral duty which he owes the community in regard to his wife, children and parents. The obligation is unquestionably lawful and binding on the person.

All communities in India are subject to the Cr.P.C's. provisions, and therefore are very much secular, safe and allencompassing in character and apply to all faiths, castes and creeds. Whatever personal law is used to guide and control the respective persons affected, the provisions of Section 125 of the Cr.P.C. are enforceable. However, procedures provided under Section 125 of Cr.P.C. are of a summary nature and apply to everyone regardless of caste, creed, or religion. Maintenance can be sought under the individual personal laws of people of different religions, and processes under such personal laws are civil in nature.

The provision found in Chapter IX of Cr.P.C. seeks to shield the neglected wife, parent and children (minor) from complete ruin and destitution through a straightforward, quick and effective restricted relief. Section 125 of CrPC offers a swift solution to prevent famine and social unrest. It differs from a husband's civil liability. It serves as a straightforward summary procedure. It puts into practice a man's fundamental obligation to support his wife, kids and elderly parents who are self-supporting.

The fundamental tenets of the maintenance stance under Section 125 of the Cr.P.C. is that no wife, young children, or elderly parents should be left without and succumb to complete pressure of wants in order to be persuaded to resort to crimes, etc. A Magistrate of the First Class may take swift action to avoid poverty under a provision in Section 125 of the Cr.P.C.

12. Purpose of Section 125 Cr.P.C

The intent behind Section 125 of the Cr.P.C. is to protect dependents who are unable to support themselves from starvation, misery and vagrancy. It is social justice legislation that was specifically passed to safeguard women, children and elderly parents.

The main goal of Section 125 of the Cr.P.C. of 1973 is to support abandoned and impoverished wives, neglected and abandoned children, and vulnerable, elderly and disabled parents. As a result, this provision promotes social welfare and social service. The Magistrate's authority is primarily preventative in character rather than penal or punitive.

The time-consuming, troublesome, heavy, process of civil law and litigation was sought to be avoided by providing a simple, quick, limited relief. This is because compulsion is (to some extent) imposed upon those persons whose duty it is to support their dependents who are unable to support themselves.

No wife, child, or parent should be abandoned on the scrap heap of society to beg or to lure others to commit crimes against them or to commit crimes themselves. A contract that violates this responsibility and totally waives the right to support one's own wife and young children cannot be regarded as legal.

13. Features of Section 125 Cr.P.C.

Previously, while discussing legal terms that have been used in making up Section 125, some of the features that will be discussed below have already been referred to. Readers will therefore now be able to understand the features of the maintenance provision better.

14. Need for sufficient means for maintenance

The most important requirement is that a person cannot be ordered to pay maintenance to another person unless they themselves have 'adequate resources to support' the person who has the claim and neglects or refuses to do so. The person asserting that he lacks sufficient means to sustain has the burden of evidence. The fact that he is unemployed does not excuse him from the requirement. In the instance of **Hardev Singh And Anr. vs The State Of Punjab** reported in 1975) 3 SCC 731, the Apex Court held that if a person cannot pay such maintenance allowance because he is a monk, then it is his obligation to cast off the yellow robe and labour. The High Courts have been tougher in their interpretation. The social justice component and the protection of the society's weaker members, namely, women, children, and the elderly, are cited as the causes of this interpretation.

15. Neglect and refusal to be maintained

The term 'neglect' fundamentally refers to a disregard of responsibility that may be either unintentional or purposeful and is used to refer to a failure to maintain even when no such demand is made against the maintainer. Whereas, the 'refusal' to maintain occurs when there is a clearly stated purpose to not carry out his responsibility. This intention may be expressed or even suggested by the husband's behaviour. The claimant has

the onus of establishing this. The requirement that the wife lives with her husband is initially necessary for her to be able to claim maintenance, but if the Magistrate finds that she has a valid reason for doing so for instance, if her husband has taken in a new wife and if it is ritually permitted by their personal law, the condition may be removed from her claim.

16. Quantum of maintenance

Up until the Amendment Act No. 50 of 2001, the Magistrate was obligated to grant maintenance not to exceed Rs. 500. There isn't a cap on the maximum amount, instead, the Magistrate is free to decide the monthly rate in accordance with the circumstances of the case. The rate can occasionally be changed in accordance with Section 127, but it must be fixed, predictable, and not gradually growing. If both the wife and the child are suing the same individual, it is against the law to pay them both jointly, instead, each has a distinct claim that can be paid separately.

17. Claimant of maintenance under Section 125 must be unable to maintain himself/herself:

The incapacity of a woman to support herself is one of the requirements for claiming maintenance. She need not expressly request that she be allowed to care for herself. However, if the woman is healthy, educated, and still unable to support herself, she may still request maintenance, but the amount awarded to her will depend on these circumstances.

- 18. In Section 126 Cr.P.C., procedures for institution of any case under Section 125 Cr.P.C. have been prescribed, whereas in Section 127 Cr.P.C., alteration in allowance has been provided.
- 19. For deciding the present issue, it would be worthwhile to reproduce Section 128 Cr.P.C. wherein enforcement or execution of order of maintenance to be passed under Section 125 Cr.P.C.,

as the case may be, has been provided. For ready reference Section 128 Cr.P.C. reads as follows:

- "128. Enforcement of order of maintenance.--A copy of the order of [maintenance or interim maintenance and expenses of proceedings, as the case may be] shall be given without payment to the person in whose favour it is made, or to his guardian, if any, or to the person to [whom the allowance for the maintenance or the allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be] is to be paid; and such order may be forced by any Magistrate in any place where the person against whom it is made may be, on such Magistrate being satisfied as to the identity of the parties and the non-payment of the [allowance, or as the case may be, expenses, due]."
- 20. Bearing that (provisions above Sections) in mind, let me state that a proceeding under Section 125 Cr.P.C. is quasi civil and quasi criminal. It is civil in nature, since, it decides the civil rights of the parties to claim maintenance. When the order is not obeyed by the person against whom the same has been made, then the Court is empowered to impose a punishment of imprisonment for every breach of the order for a term which may extend to one month or until payment is sooner is made. To that extent, it is criminal in nature. To put it comprehensively, the proceeding is quasi civil and quasi criminal in nature.
- 21. Where an order is passed directing to pay maintenance, the party in whose favour such an order has been passed has got two options. The first one is the party can choose to approach the Court under Section 125 (3) Cr.P.C. requesting the Court to punish the defaulter by imposing appropriate imprisonment; the second one is to approach the Court under Section 128 of Cr.P.C.
- 22. A comparison of Sections 125 (3) and 128 of Cr.P.C. would keep things beyond any doubt that insofar as the proceeding under Section 125 (3) is concerned, the statute has prescribed a period of limitation of one year, whereas in respect of a

proceeding under Section 128 of Cr.P.C., there is no limitation provided at all. It follows, therefore, by the terms of the statute, that, for initiating a proceeding for enforcing an order by invoking Section 128 of Cr.P.C., I find no provision providing for limitation as it is provided in respect of proceedings under Section 125(3) of Cr.P.C.

- 23. Chapter IX of the Code of Criminal Procedure hereinafter referred as the 'Code' in its Section 128 provides for enforcement of order of maintenance, but how was the order to be enforced has not been provided.
- 24. Section 128 Cr.P.C. only provides for furnishing of copy of the order. It also provides that such order could be enforced by any Magistrate at any place where the person against whom it was made may be, which only means that any Magistrate of the place where the person may be may enforce the order on being satisfied, about the identity of the parties and also that the dues had not been paid. As said before how was the due to be recovered i.e. the procedure was not provided.
- 25. I have no room to doubt that the High Court Article 226 of the Constitution of India in civil matters and under Section 482 Cr.P.C. in criminal matters has extraordinary power to examine the correctness or otherwise of any orders passed by civil courts, as the case may be. However, against any quasi judicial civil order or any quasi judicial criminal order, no writ petition under Article 226 of the Constitution of India or any application under Section 482 Cr.P.C. respectively will be maintainable. Against such order, only revision or petition under Article 227 of the Constitution of India will be maintainable.
- 26. The Hon'ble Apex Court in the case of **Radhey Shyam & Another Vs. Chhabi Nath & Others** reported in (2015) 5 SCC 423 in paragraph no.18 has opined that challenge to judicial orders could lie by way of an appeal or revision or under Article 227 of the Constitution of India and not by way of a writ under Article 226 and 32 of the Constitution of India.

- 27. I may further refer to paragraph nos. 11 and 25 of the above judgement of the Hon'ble Apex Court, wherein it has been clarified that orders of the judicial courts like civil courts stand on different footing from the quasi-judicial orders of the authorities or tribunals or courts other than judicial/civil courts. In paragraph no.25, the Hon'ble Apex Court has further opined that the expression "inferior court" is not referable to the judicial courts.
- 28. For ready reference paragraph 25 of the above judgment reads as follows:

"It is true that this Court has laid down that technicalities associated with the prerogative writs in England have no role to play under our constitutional scheme. There is no parallel system of King's Court in India and of all other courts having limited jurisdiction subject to supervision of King's Court. Courts are set up under the Constitution or the laws. All courts in the jurisdiction of a High Court are subordinate to it and subject to its control and supervision under Article 227. Writ jurisdiction is constitutionally conferred on all High Courts. Broad principles of writ jurisdiction followed in England are applicable to India and a writ of certiorari lies against patently erroneous or without jurisdiction orders of Tribunals or authorities or courts other than judicial courts. There are no precedents in India for High Courts to issue writs to subordinate courts. Control of working of subordinate courts in dealing with their judicial orders is exercised by way of appellate or revisional powers or power of superintendence under Article 227. Orders of civil court stand on different footing from the orders of authorities Tribunals or courts other or While appellate or revisional judicial/civil courts. jurisdiction is regulated by statutes, power of superintendence under Article 227 is constitutional. The expression "inferior court" is not referable to judicial courts, as rightly observed in the referring order in paras 26 and 27 quoted above."

29. From bare perusal of the provisions of Sections 125 to 128 Cr.P.C. as also the judgment of the Hon'ble Apex Court in the case of **Radhey Shyam (Supra),** I am of the view that since the order passed by the Principal Judge, Family Court, granting

interim maintenance to the applicants in a proceeding under

Section 125 Cr.P.C. is a quasi judicial civil and criminal order, no

application under Section 482 Cr.P.C. either for quashing the

same or for enforcing the same, is maintainable.

30. Consequently, the present application filed by the

applicants for enforcing the order passed by the Family Court

granting interim maintenance allowance to them is dismissed.

The proper remedy available to the applicants to approach the

Family Court under Section 128 Cr.P.C. before the same court.

31. This judgment is also being written in Hindi as well as in

Sanskrit languages and the copies of the same shall also be

attached along with this judgment.

(Shiv Shanker Prasad, J.)

Order Date :- 11.07.2024

Sushil/-

15

ए.एफ.आर. 6 जून, 2024 को सुरक्षित 11 जुलाई, 2024 को वितरित

कोर्ट नं. - 85

मामला :- आवेदन धारा 482 संख्या - 10718 वर्ष 2024 के अन्तर्गत

आवेदक :- श्रीमती कंचन रावत एवं अन्य विपक्षी :- उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य आवेदक के वकील :- आजाद खान विपक्षी के वकील :- जी.ए.

माननीय शिव शंकर प्रसाद, जे.

1. आवेदक के विद्वान वकील श्री आज़ाद खान और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया। रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

2. इस आवेदन में की गई प्रार्थना

धारा 482 सीआरपीसी के तहत यह आवेदन, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, गाजीपुर की अदालत को विविध वाद संख्या 57/2015 (कंचन रावत बनाम बृजलाल रावत) धारा 125 सीआरपीसी, पुलिस स्टेशन-कोतवाली गाजीपुर, जिला-गाजीपुर के तहत उचित आदेश पारित करने के लिए निर्देशित करने के लिए प्रार्थना के साथ दायर किया गया है और साथ ही उपरोक्त अदालत को न्याय के हित में आवेदकों के पक्ष में 80,000/- रुपये का अंतरिम भरण-पोषण भत्ता देने का निर्देश देने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

3. मामले का सार

आवेदिका संख्या 1, अर्थात कंचन रावत का विवाह विपक्षी संख्या 2, अर्थात बृजलाल रावत के साथ हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार 01.12.2009 को सम्पन्न हुआ था। उक्त विवाह में आवेदक संख्या 1 के पिता ने 7 से 8 लाख रुपए खर्च किए थे। विवाह के पश्चात दोनों दम्पति प्रेम, शांति और प्रसन्नता के साथ पति-पत्नी के रूप में रहते थे। जब दहेज की ऐसी अतिरिक्त मांग पूरी नहीं की गई तो आवेदक संख्या 1 के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित और परेशान करते थे और पति-पत्नी के बीच संबंध तनावपूर्ण और असंगत हो गए और परिणामस्वरूप वह अपने ससुराल वालों का घर छोड़कर अपने मायके में रहने लगी, जिस दौरान उसने 2 नवम्बर, 2011 को गौरव कुमार नामक एक लड़के को जन्म दिया। आवेदक संख्या 1 और उसके माता-पिता ने आवेदक संख्या 1 के ससूराल वालों को उसे और उसके बेटे का भरण-पोषण करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, उसने भरण-पोषण अनुदान के लिए प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, गाजीपुर के न्यायालय में धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक मामला दायर किया, जो विविध वाद संख्या 57/2015 (कंचन रावत बनाम बुजलाल) के रूप में पंजीकृत किया गया था। आवेदक संख्या 1 ने न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, गाजीपुर के समक्ष संख्या 15 बी वाली अंतरिम भरण-पोषण आवेदन भी दायर किया था, जिसे अनुमति दे दी गई और विपक्षी संख्या 2 को आदेश दिनांक 27.06.2017 के तहत मामले के लंबित रहने के दौरान आवेदकों को भरण-पोषण भत्ते के रूप में 4,000/- रुपये प्रति माह देने का निर्देश जारी किया गया है। पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिनांक 27 जून, 2017 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में विपक्षी संख्या 2 ने आवेदकों को दिसंबर, 2021 तक नियमित रूप से अंतरिम भरण-पोषण भत्ता का भुगतान किया लेकिन वर्ष 2022 में उसने पारिवारिक न्यायालय के निर्देशानुसार ऐसे अंतरिम भरण-पोषण भत्ते का भुगतान रोक दिया। इसके बाद आवेदकों ने अंतरिम भरण-पोषण भत्ते के भुगतान के लिए प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय के समक्ष एक आवेदन किया। ऐसा आवेदन किए जाने पर, विपक्षी पक्ष सं. 2 ने डेढ़ वर्ष की अविध बीत जाने के बाद आवेदकों को न्यायालय में 4,000/रुपये दे दिए थे, लेकिन 17 दिसंबर, 2023 तक ऐसे अंतरिम भरण-पोषण भत्ते की बकाया राशि 80,000/- रुपये आवेदकों द्वारा विपक्षी पक्ष सं. 2 को नहीं दी गई है। जिसके परिणामस्वरूप, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय ने विपक्षी पक्ष सं. 2 को निर्देश दिया कि वह आवेदकों को 4,000/- रुपये मासिक अंतरिम भरण-पोषण भत्ते और 80,000/- रुपये अंतरिम भरण-पोषण भत्ते की बकाया राशि के रूप में 10,000/- रुपये प्रति माह अंतरिम भरण-पोषण भत्ते की बकाया राशि के रूप में 10,000/- रुपये प्रति माह अंतरिम भरण-पोषण भत्ते की बकाया राशि दी और न ही आवेदकों को भरण-पोषण भत्ते के रूप में 10,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान किया।

- 4. अब आवेदकों ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत तत्काल आवेदन के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है तािक विविध मामला संख्या 57/2015 (कंचन रावत बनाम बृजलाल रावत) धारा 125 सीआरपीसी, पुलिस स्टेशन-कोतवाली गाजीपुर, जिला-गाजीपुर में उचित आदेश पारित किया जा सके और विपक्षी संख्या 2 को आवेदकों को 80,000 रुपये के अंतरिम रखरखाव भत्ते का बकाया भूगतान करने का निर्देश दिया जा सके।
- 5. न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर वर्तमान आवेदन पर विचार करने से पहले, विद्वान ए.जी.ए. ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत वर्तमान आवेदन की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई है, यह प्रस्तुत करते हुए कि मूल रूप से आवेदक वर्तमान आवेदन के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा धारा 125 सीआरपीसी के तहत शुरू किए गए मामले में अंतरिम रखरखाव भत्ता देने के अंतरिम आदेश के निष्पादन की मांग कर रहे हैं। लेकिन यह न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 125 सीआरपीसी के तहत पारित आदेश के निष्पादन के लिए ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता है जो एक स्व-संहिता और न्यायिक आदेश है। इसलिए, वह प्रस्तुत करता है कि वर्तमान आवेदन पोषणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है। आवेदकों के लिए उपलब्ध उचित उपाय धारा 128 सीआरपीसी के तहत धारा 125 सीआरपीसी के तहत पारित आदेश के निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर करना था।
- 6. जवाब में, आवेदकों के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि प्रधान न्यायाधीश , पारिवारिक न्यायालय द्वारा धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक मामले में आवेदकों के पक्ष में अंतरिम भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश एक अंतरिम आदेश है, इसलिए, धारा 128 सीआरपीसी के तहत कोई निष्पादन आवेदन दायर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, धारा 482 सीआरपीसी के तहत वर्तमान आवेदन पोषणीय है।
- 7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है तथा वर्तमान आवेदन के अभिलेखों का अवलोकन किया है।
- 8. इस न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा उठा है, वह यह है कि क्या धारा 482 सीआरपीसी के तहत वर्तमान आवेदन, जो मूल रूप से धारा 125 सीआरपीसी के तहत पारित आदेश के निष्पादन के लिए दायर किया गया है, स्वीकार्य है या नहीं?
- 9. उपरोक्त मुद्दे पर आने से पहले, धारा 125 सीआरपीसी को पुनः उद्धृत करना उचित होगा। त्विरत संदर्भ के लिए इसे नीचे उद्धृत किया गया है:
- **"125.** पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश।

- (1) यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति
- (क) अपनी पत्नी का, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या
- (ख) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का, चाहे विवाहित हो न हो, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या
- (ग) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है) जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहंा ऐसी संतान किसी शरीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षित के कारण अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या
- (घ) अपने पिता या माता का, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है,भरणपोषण करने में उपेक्षा करता है या भरणपोषण करने से इंकार करता है तो प्रथम वर्ग मिजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इंकार के साबित हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरणपोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर, जिसे मिजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मिजिस्ट्रेट समय पर निर्देश दे:

परंतु मजिस्ट्रेट खण्ड (ख) निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पित के पास पर्याप्त साधन नहीं है।

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन मासिक भत्ते से संबंधित भरण-पोषण की कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता, को अंतरिम भरण-पोषण और ऐसी कार्यवाही के खर्चे, का मासिक भत्ता दे जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे और उसका संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसके लिए वह समय-समय पर निर्देश दे।

परंतु यह और भी कि इस द्वितीय परंतुक के अधीन अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चे का मासिक भत्ता के लिए का आवेदन को यथा सम्भव आवेदन की सूचना ऐसे व्यक्ति पर तामील से 60 दिन में निपटा दिया जाय।

स्पष्टीकरण - इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए -

- (क) 'अवयस्क' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने व्यस्कता प्राप्त नहीं की है।
- (ख) 'पत्नी' के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पित ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है जिसने अपने पित से विवाह-विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
- (2) भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता या कार्यवाही के खर्चे आदेश की तारीख से, या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चे, जैसी भी स्थित हो आवेदन की तारीख से संदेय होगा।
- (3) यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो, उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से उदगृहीत किए जाने के लिए वारण्ट जारी कर सकता है जैसी रीति जुर्माने उदगृहीत करने के लिए उपबंधित है और उस वारण्ट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास के न चुकाए गए भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण का भत्ता और कार्यवाही के खर्चे जैसी भी स्थिति हो या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को एक मास तक की अवधि के लिए अथवा यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दण्डादेश दे सकता है: परंतु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारण्ट तब तक जारी न किया जाएगा जब तक उस रकम को उदगृहीत करने के लिए, उस तारीख से जिसको वह देय हुई एक वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है:

परंतु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरणपोषण करने की प्रस्थापना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पित के साथ रहने से इंकार करती है तो ऐसा मिजस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इंकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्थापना के किए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका सामाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्यायसंगत आधार है।

स्पष्टीकरण - यदि पित ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह रखेल रखता है तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इंकार का न्यायसंगत आधार माना जाएगा।

- (4) कोई पत्नी अपने पित से इस धारा के अधीन भरण-पोषण का भत्ता और कार्यवाही के खर्चे के जैसी भी स्थिति हो प्राप्त करने की हकदार न होगी यदि वह जारता की दशा में रह रही है अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पित के साथ रहने से इंकार करती है अथवा यदि वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे है।
- (5) मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रदद कर सकता है कि कोई पत्नी, जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पित के साथ रहने से इंकार करती है अथवा वे पारस्परिक सम्मित से पृथक रह रहे है।

उत्तर प्रदेश-धारा 125 में, - (क) उपधारा (1) में शब्द "पाँच सौ रुपये" के स्थान पर "पाँच हजार रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

- (ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्न उपधारा (6) अन्तः स्थापित की जायेगी-
- (6) "जहाँ इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि भरण-पोषण के लिये दावा करने वाले व्यक्ति को उसके आलम्ब के लिए और कार्यवाही के आवश्यक व्यय के लिए तत्काल राहत की आवश्यकता है वहाँ मजिस्ट्रेट उसके आवेदन पर उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध भरण-पोषण के लिये दावा किया गया है, आदेश दे सकेगा कि वह कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान पाँच हजार रुपये से अनधिक ऐसा मासिक भत्ता और ऐसी कार्यवाही का व्यय जैसा मजिस्ट्रेट युक्तियुक्त समझे, भरण-पोषण के लिये दावा करने वाले व्यक्ति को संदत्त करे और ऐसा आदेश भरण-पोषण के आदेश की भांति प्रवर्तनीय होगा।"

[उ.प्र. अधिनियम से 36 वर्ष 2000, धारा 2]

- 10. दंड प्रिक्रिया संहिता की धारा 125 में पत्नी, बच्चे और माता-िपता को भरण-पोषण देने का प्रावधान है। पक्ष द्वारा धारा 125 दंड प्रिक्रिया संहिता के तहत मामला दर्ज करने के बाद न्यायालय प्रितवादी यानी पित को आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी को मासिक भरण-पोषण देकर भरण-पोषण करे, जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। हालांकि, इस प्रावधान में एक अपवाद है। पत्नी को भरण-पोषण देने के लिए पित को अलग होने के बाद अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए और साथ ही, पत्नी व्यभिचार में नहीं रह रही होनी चाहिए या बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पित के साथ अलग नहीं रह रही होनी चाहिए। यहां तक कि अगर वे आपसी सहमित से अलग रह रहे हैं, तो भी पत्नी किसी भी तरह के भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी। जब भी पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है, तो न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि पित के पास पत्नी को भरण-पोषण देने के लिए पर्याप्त साधन हैं। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि अलग होने के बाद पत्नी के पास खुद का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।
- 11. इस प्रावधान का उद्देश्य और आपित्तयाँ धारा 125 के अंतर्गत अंतरिम भरण-पोषण का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय में आवेदन लंबित रहने के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा पित को पत्नी को मासिक भत्ता देने का आदेश पारित किया जा सकता है। हालाँकि, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि मासिक भत्ता देने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो उसे भरण-पोषण की राशि में परिवर्तन करने का

अधिकार है। भरण-पोषण के ऐसे सभी आवेदन किसी भी जिले में दायर किए जा सकते हैं, जहाँ भुगतान करने वाला व्यक्ति रहता है या जहाँ पत्नी रहती है या जहाँ व्यक्ति अंतिम बार पत्नी या माँ या नाजायज़ बच्चे के साथ रहता था। सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य समाज में सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करना है।

सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य के. विमल बनाम के. वीरस्वामी (1991) के मामले में समझाया गया था, जहाँ यह माना गया था कि संहिता की धारा 125 सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पेश की गई थी। इस धारा का उद्देश्य पित से अलग होने के बाद पत्नी को आवश्यक आश्रय, भोजन प्रदान करके उसका कल्याण करना है। इस मामले में यह माना गया कि यदि पत्नी पत्नी की तरह रहती है और पित ने अलग होने से पहले सभी वर्षों तक उसके साथ पत्नी की तरह व्यवहार किया है, तो पत्नी को उसके पित द्वारा भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता है।

भरण-पोषण का अनुदान सामाजिक न्याय का एक पैमाना है। एक पुरुष का अनिवार्य दायित्व अपनी पत्नी, बच्चों, माता-पिता, करीबी रिश्तेदारों आदि के लिए भरण-पोषण करना है, जबिक वे खुद के लिए भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। महिलाओं और बच्चों की आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए अनैतिकता और गरीबी को रोकना भरण-पोषण की अवधारणा के पीछे का उद्देश्य है। दंड प्रिक्रया संहिता की आवश्यकताएं एक व्यक्ति को अपनी पत्नी, बच्चों और माता-पिता के संबंध में समुदाय के प्रित नैतिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए बाध्य करती हैं। यह दायित्व निस्संदेह वैध है और व्यक्ति पर बाध्यकारी है।

भारत में सभी समुदाय दंड प्रिक्रया संहिता के प्रावधानों के अधीन हैं, और इसिलए वे बहुत ही धर्मनिरपेक्ष, सुरक्षित और चिरत्र में सर्वव्यापी हैं और सभी धर्मों, जातियों और पंथों पर लागू होते हैं। संबंधित प्रभावित व्यक्तियों को मार्गदर्शन और नियंत्रित करने के लिए जो भी व्यक्तिगत कानून का उपयोग किया जाता है, सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधान लागू करने योग्य हैं। हालांकि, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत प्रदान की गई प्रक्रियाएं संक्षिप्त प्रकृति की हैं और जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना सभी पर लागू होती हैं। विभिन्न धर्मों के लोगों के व्यक्तिगत कानूनों के तहत रखरखाव की मांग की जा सकती है, और ऐसे व्यक्तिगत कानूनों के तहत प्रकिरयाएं प्रकृति में नागरिक हैं।

सीआरपीसी के अध्याय IX में पाया गया प्रावधान उपेक्षित पत्नी, माता-पिता और बच्चों (नाबालिग) को सीधे, त्वरित और प्रभावी प्रतिबंधित राहत के माध्यम से पूर्ण बर्बादी और अभाव से बचाने का प्रयास करता है। सीआरपीसी की धारा 125 अकाल और सामाजिक अशांति को रोकने के लिए एक त्वरित समाधान प्रदान करती है। यह पित के नागरिक दायित्व से अलग है। यह एक सीधी सारांश प्रकिरया के रूप में कार्य करता है। यह एक पुरुष के अपनी पत्नी, बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता का समर्थन करने के मौलिक दायित्व को व्यवहार में लाता है जो आत्मनिर्भर हैं।

सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण संबंधी प्रावधान का मूल सिद्धांत यह है कि किसी भी पत्नी, छोटे बच्चों या बुजुर्ग माता-पिता को बिना किसी सहारे के नहीं छोड़ा जाना चाहिए और न ही उन्हें जरूरतों के दबाव में आकर अपराध आदि करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधान के तहत प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट निर्धनता से बचने के लिए त्वरित कार्रवाई कर सकता है।

12. धारा 125 सीआरपीसी का उद्देश्य

सीआरपीसी की धारा 125 के पीछे का उद्देश्य उन आश्रितों की रक्षा करना है जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, उन्हें भुखमरी, दुख और आवारागर्दी से बचाना है। यह सामाजिक न्याय कानून है जिसे विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता की सुरक्षा के लिए पारित किया गया था।

सीआरपीसी की धारा 125 का मुख्य लक्ष्य 1973 में परित्यक्त और गरीब पत्नियों, उपेक्षित और परित्यक्त बच्चों और कमजोर, बुजुर्ग और विकलांग माता-पिता का भरण-पोषण करना है। नतीजतन,

यह प्रावधान सामाजिक कल्याण और सामाजिक सेवा को बढ़ावा देता है। मजिस्ट्रेट का अधिकार मुख्य रूप से दंडात्मक या दंडात्मक के बजाय निवारक प्रकृति का होता है।

सिविल कानून और मुकदमेबाजी की समय लेने वाली, परेशानी भरी, भारी प्रक्रिया को एक सरल, त्विरत, सीमित राहत प्रदान करके टाला जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मजबूरी (कुछ हद तक) उन व्यक्तियों पर थोपी जाती है जिनका कर्तव्य अपने आश्रितों का भरण-पोषण करना है जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।

किसी भी पत्नी, बच्चे या माता-पिता को समाज के कूड़े के ढेर पर भीख मांगने या दूसरों को उनके खिलाफ अपराध करने के लिए लुभाने या खुद अपराध करने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ऐसा अनुबंध जो इस जिम्मेदारी का उल्लंघन करता है और अपनी पत्नी और छोटे बच्चों का भरण-पोषण करने के अधिकार को पूरी तरह से त्याग देता है, उसे कानूनी नहीं माना जा सकता।

13. <u>धारा **125 Cr.P.C.** की विशेषताए</u>ँ

इससे पहले, धारा 125 को बनाने में इस्तेमाल किए गए कानूनी शब्दों पर चर्चा करते समय, नीचे चर्चा की जाने वाली कुछ विशेषताओं का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। इसलिए पाठक अब भरण-पोषण प्रावधान की विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।

14. भरण-पोषण के लिए पर्याप्त साधनों की आवश्यकता

सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को भरण-पोषण देने का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसके पास खुद उस व्यक्ति का भरण-पोषण करने के लिए 'पर्याप्त संसाधन' न हों, जिसके पास दावा है और वह ऐसा करने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है। जो व्यक्ति यह दावा करता है कि उसके पास भरण-पोषण के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, उसे साक्ष्य का भार वहन करना होगा। यह तथ्य कि वह बेरोजगार है, उसे आवश्यकता से छूट नहीं देता है। (1974) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि कोई व्यक्ति भिक्षु होने के कारण ऐसा भरण-पोषण भत्ता नहीं दे सकता है, तो यह उसका दायित्व है कि वह पीला वस्त्र त्याग दे और श्रम करे। उच्च न्यायालय अपनी व्याख्या में अधिक कठोर रहे हैं। सामाजिक न्याय घटक और समाज के कमजोर सदस्यों, अर्थात् महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को इस व्याख्या के कारणों के रूप में उद्धृत किया गया है।

15. उपेक्षा और भरण-पोषण से इनकार

'उपेक्षा' शब्द मूल रूप से जिम्मेदारी की उपेक्षा को संदर्भित करता है जो अनजाने में या जानबूझकर हो सकता है और इसका उपयोग भरण-पोषण में विफलता को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, भले ही भरण-पोषण करने वाले के खिलाफ ऐसी कोई मांग न की गई हो। जबिक, भरण-पोषण से 'इनकार' तब होता है जब उसकी जिम्मेदारी को पूरा न करने का स्पष्ट रूप से कहा गया उद्देश्य होता है। यह इरादा पित के व्यवहार से व्यक्त या सुझाया भी जा सकता है। इसे स्थापित करने की जिम्मेदारी दावेदार की है। पत्नी का अपने पित के साथ रहना शुरू में उसके भरण -पोषण का दावा करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर मिजस्ट्रेट को लगता है कि उसके पास ऐसा करने के लिए कोई वैध कारण है, उदाहरण के लिए, अगर उसके पित ने नई पत्नी ली है और अगर यह उनके पर्सनल लॉ द्वारा अनुष्ठानिक रूप से अनुमित दी गई है, तो इस शर्त को उसके दावे से हटाया जा सकता है।

16. भरण-पोषण की मात्रा

2001 के संशोधन अधिनियम संख्या 50 तक, मजिस्ट्रेट को 500 रुपये से ज़्यादा नहीं भरण-पोषण देने के लिए बाध्य किया गया था। अधिकतम राशि पर कोई सीमा नहीं है; इसके बजाय, मजिस्ट्रेट मामले की परिस्थितियों के अनुसार मासिक दर तय करने के लिए स्वतंत्र है। धारा 127 के अनुसार दर को कभी-कभी बदला जा सकता है, लेकिन यह निश्चित, पूर्वानुमानित और धीरे-धीरे बढ़ने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर पत्नी और बचा दोनों एक ही व्यक्ति पर मुकदमा कर रहे हैं, तो उन दोनों को संयुक्त रूप से भुगतान करना कानून के खिलाफ़ है, इसके बजाय, प्रत्येक का एक अलग दावा है जिसे अलग-अलग भुगतान किया जा सकता है।

17. धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावेदार स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ होना चाहिए:

किसी महिला का स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ होना भरण -पोषण का दावा करने की आवश्यकताओं में से एक है। उसे स्पष्ट रूप से यह अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है कि उसे स्वयं की देखभाल करने की अनुमित दी जाए। हालांकि, यदि महिला स्वस्थ, शिक्षित है और फिर भी स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो वह अभी भी भरण-पोषण का अनुरोध कर सकती है, लेकिन उसे दी जाने वाली राशि इन परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

- 18. धारा 126 सीआरपीसी में धारा 125 सीआरपीसी के तहत किसी भी मामले को संस्थित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जबकि धारा 127 सीआरपीसी में भत्ते में परिवर्तन प्रदान किया गया है।
- 19. वर्तमान मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, धारा 128 सीआरपीसी को पुन: प्रस्तुत करना सार्थक होगा, जिसमें धारा 125 सीआरपीसी के तहत पारित किए जाने वाले भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन या निष्पादन, जैसा भी मामला हो, प्रदान किया गया है। तत्काल संदर्भ के लिए धारा 128 सीआरपीसी देखें। इस प्रकार है:
- "128. भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन। [भरण-पोषण या अंतिरम भरण-पोषण और कार्यवाही के व्यय, जैसा भी मामला हो,] के आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में यह किया गया है, या उसके संरक्षक को, यदि कोई हो, या उस व्यक्ति को [जिसे भरण-पोषण के लिए भत्ता या अंतिरम भरण-पोषण के लिए भत्ता और कार्यवाही के व्यय, जैसा भी मामला हो,] का भुगतान किया जाना है, बिना भुगतान के दी जाएगी; और ऐसा आदेश किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी स्थान पर लागू किया जा सकता है जहां वह व्यक्ति हो, जिसके खिलाफ यह किया गया है, ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों की पहचान और [भत्ता, जैसा भी मामला हो, देय व्यय] का भुगतान न किए जाने के बारे में समाधान हो जाने पर।"
- 20. उस (धाराओं के ऊपर के प्रावधानों) को ध्यान में रखते हुए, मैं बताना चाहता हूं कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही अर्ध सिविल और अर्ध आपराधिक होती है। यह प्रकृति में सिविल है, क्योंकि यह रखरखाव का दावा करने के पक्षों के सिविल अधिकारों का फैसला करती है। जब आदेश का पालन उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है जिसके खिलाफ यह किया गया है, तो न्यायालय को आदेश के प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक अवधि के लिए कारावास की सजा लगाने का अधिकार है, जो एक महीने तक या भुगतान जल्दी किए जाने तक हो सकती है। उस सीमा तक, यह प्रकृति में आपराधिक है। इसे व्यापक रूप से कहें तो कार्यवाही प्रकृति में अर्ध सिविल और अर्ध आपराधिक है।
- 21. जहां रखरखाव का भुगतान करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया जाता है, जिस पक्ष के पक्ष में ऐसा आदेश पारित किया गया है, उसके पास दो विकल्प हैं। पहला यह है कि पक्ष धारा 125(3) सीआरपीसी के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है दूसरा विकल्प सीआरपीसी की धारा 128 के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाना है।
- 22. सीआरपीसी की धारा 125 (3) और 128 की तुलना करने से यह बात संदेह से परे रहेगी कि जहां तक धारा 125 (3) के तहत कार्यवाही का सवाल है, कानून में एक वर्ष की सीमा अविध

निर्धारित की गई है, जबिक सीआरपीसी की धारा 128 के तहत कार्यवाही के संबंध में कोई सीमा अविध प्रदान नहीं की गई है। इसलिए, कानून की शतों के अनुसार, यह निष्कर्ष निकलता है कि सीआरपीसी की धारा 128 का आह्वान करके किसी आदेश को लागू करने के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है जैसा की सीआरपीसी की धारा 125 (3) के तहत कार्यवाही के संबंध में सीमा अविध की गयी है।

- 23. दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX को इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित किया गया है, इसकी धारा 128 में भरण-पोषण के आदेश को लागू करने का प्रावधान है, लेकिन आदेश को कैसे लागू किया जाना था, इसका प्रावधान नहीं किया गया है।
- 24. धारा 128 सीआरपीसी केवल आदेश की प्रति प्रस्तुत करने का प्रावधान करती है। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसा आदेश किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी स्थान पर लागू किया जा सकता है, जहां वह व्यक्ति हो, जिसके खिलाफ यह आदेश दिया गया था, जिसका केवल यही अर्थ है कि उस स्थान का कोई भी मजिस्ट्रेट, जहां वह व्यक्ति हो, पक्षों की पहचान के बारे में संतुष्ट होने पर और यह भी कि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है, आदेश को लागू कर सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है कि बकाया राशि कैसे वसूल की जानी थी, यानी प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया था।
- 25. मुझे इस बात पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सिविल मामलों में और धारा 482 सीआरपीसी के तहत आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय को सिविल न्यायालयों द्वारा पारित किसी भी आदेश की सत्यता या अन्यथा जांच करने की असाधारण शक्ति है, जैसा भी मामला हो। हालांकि, किसी भी अर्ध न्यायिक सिविल आदेश या किसी अर्ध न्यायिक आपराधिक आदेश के खिलाफ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई रिट याचिका या धारा 482 सीआरपीसी के तहत कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसे आदेश के खिलाफ केवल पुनरीक्षण अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका स्वीकार्य होगी।
- 26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राधेश्याम एवं अन्य बनाम छवि नाथ एवं अन्य के मामले में (2015) 5 एससीसी 423 के पैराग्राफ 18 में यह राय दी है कि न्यायिक आदेशों को चुनौती अपील या पुनरीक्षण के माध्यम से या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दी जा सकती है, न कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 32 के तहत रिट के माध्यम से।
- 27. मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 11 और 25 का भी उल्लेख कर सकता हूं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सिविल न्यायालयों जैसे न्यायिक न्यायालयों के आदेश न्यायिक/सिविल न्यायालयों के अलावा प्राधिकारियों या न्यायाधिकरणों या न्यायालयों के अर्ध न्यायिक आदेशों से अलग आधार पर होते हैं। पैराग्राफ 25 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह राय दी है कि अभिव्यक्ति "अवर न्यायालय" न्यायिक न्यायालयों के लिए संदर्भित नहीं है।
- 28. तत्काल संदर्भ के लिए उपरोक्त निर्णय का पैराग्राफ 25 इस प्रकार है:

"यह सच है कि इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि इंग्लैंड में विशेषाधिकार रिट से जुड़ी तकनीकी बातों की हमारी संवैधानिक योजना के तहत कोई भूमिका नहीं है। भारत में किंग्स कोर्ट और किंग्स कोर्ट की निगरानी के अधीन सीमित अधिकार क्षेत्र वाले सभी अन्य न्यायालयों की कोई समानांतर प्रणाली नहीं है। न्यायालय संविधान या कानूनों के तहत स्थापित किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सभी न्यायालय इसके अधीनस्थ हैं और अनुच्छेद 227 के तहत इसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन हैं। रिट अधिकार क्षेत्र संवैधानिक रूप से सभी उच्च न्यायालयों को प्रदान किया गया है। इंग्लैंड में अपनाए जाने वाले रिट अधिकार क्षेत्र के व्यापक सिद्धांत भारत पर भी लागू होते हैं और न्यायाधिकरणों या प्राधिकरणों या न्यायिक न्यायालयों के

अलावा अन्य न्यायालयों के स्पष्ट रूप से गलत या अधिकार क्षेत्र के बिना आदेशों के खिलाफ उत्प्रेषण रिट है। भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को रिट जारी करने का कोई उदाहरण नहीं है। अपने न्यायिक आदेशों से निपटने में अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज पर नियंत्रण अनुच्छेद 227 के तहत अपीलीय या पुनरीक्षण शक्तियों या अधीक्षण की शक्ति के माध्यम से किया जाता है। सिविल कोर्ट के आदेश न्यायिक/सिविल अदालतों के अलावा अधिकारियों या न्यायाधिकरणों या अदालतों के आदेशों से अलग आधार पर होते हैं। जबिक अपीलीय या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार क़ानून द्वारा विनियमित होता है, अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण की शक्ति संवैधानिक है। "अवर न्यायालय" अभिव्यक्ति न्यायिक अदालतों के लिए संदर्भित नहीं है, जैसा कि ऊपर उद्धृत पैरा 26 और 27 में संदर्भित आदेश में सही रूप से देखा गया है।"

29. सीआरपीसी की धारा 125 से 128 के प्रावधानों के साथ-साथ राधेश्याम (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मात्र अवलोकन से , मेरा विचार है कि चूंकि प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय द्वारा धारा 125 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही में आवेदकों को अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश पारित किया गया था। चूंकि यह एक अर्ध न्यायिक सिविल और आपराधिक आदेश है, इसलिए इसे रद्ध करने या लागू करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं है।

30. परिणामस्वरूप, पारिवारिक न्यायालय द्वारा उन्हें अंतरिम भरण-पोषण भत्ता प्रदान करने के आदेश को लागू करने के लिए आवेदकों द्वारा दायर वर्तमान आवेदन को खारिज किया जाता है। आवेदकों के पास धारा 128 सीआरपीसी के तहत पारिवारिक न्यायालय में जाने का उचित उपाय उपलब्ध है।

(शिव शंकर प्रसाद, न्यायमूर्ति)

आदेश दिनांक:- 11 जुलाई, 2024 सुशील/-

ए०एफ०आर०

6 जून 2024 मध्ये सुरक्षितः

11 जुलाई वितरितः

न्यायालय सं0 – पञ्चाशीतिः

विपक्षस्य अधिवक्ताः जी०ए०

विषयः— आवेदन — धारा ४८२ सं० १०७१८ वर्ष २०२४ अन्तर्गते आवेदकः— श्रीमती कंचन रावतः अन्ये च विपक्षीः— उत्तर प्रदेश राज्यः अन्ये च आवेदकस्य अधिवक्ताः— आजाद खानः

माननीय शिवशंकर प्रसाद: न्यायाधीश:

 आवेदकस्य विद्वान् अधिवक्ता श्री आजाद खानः एवं च राज्यस्य विद्वान् ए.जी.ए. महोदययौ श्रुतौ।
 रिकार्डस्य अवलोकनम् कृतम्।

2. अस्मिन् आवेदने कृता प्रार्थना

482 द०प्र०सं० धारायां इदं आवेदनं, प्रधान—न्यायाधीशः, पारिवारिक—न्यायालयः, गाजीपुरस्य न्यायालयं विविध—वाद—संख्या 57/2015 (कंचनरावतः प्रति बृजलाल रावतः धारा 125 द०प्र०सं० पुलिस स्टेशन — कोतवाली गाजीपुरः, जनपदः गाजीपुरः मध्ये समुचित आदेशाय निर्देष्टुं प्रार्थनया प्रदत्तं तथा उपर्युक्त—न्यायालयं न्यायस्य कृते आवेदकानां पक्षे 80,000/— रूप्यकाणि अन्तरिम—भरण—पोषणभत्तां दातुं निर्देष्टुं च प्रार्थितम्।

वादस्य सारः

आवेदिका संख्या—1, कंचन रावतस्य विवाहः विपक्षी संख्या 2 बृजलाल रावतेन सह हिन्दू—वैवाहिक पद्धत्या 01.12.2009 मध्ये सम्पन्नो जातः। उपर्युक्त-परिणये आवेदक-संख्या- एकस्य पित्रा 7-8 लक्ष रूप्यकाणि व्ययीकृतानि। परिणयोपरान्ते द्वौ दम्पती प्रेम्णा शान्त्या प्रसन्नमनसा च पतिपत्नीरूपेण निवासं कुर्वन्नासन् यदा दहेजस्य अतिरिक्ता अपेक्षा न पूरिता तदा आवेदक—सं0— एकस्य ससुरालीजनाः तं प्रताडयन्नासन् तथा च दम्पन्त्यौ मध्ये सम्बन्धः असंगतः जातः परिणामतः सा स्वकीयं ससुरालीजनं परित्यज्य स्वगृहे निवसन्नासीत्। अस्मिन्नेव समये सा 2 नवम्बरे, 2011 वर्षे गौरव कुमार नामकं एकं अजनयत्। आवेदक—संख्या एक: तथा आवेदक—संख्या—एकस्य श्वसुर तस्याः पुत्राय भरणपोषण—करणाय पूर्णरूपेण यत्नं कृतम् परञ्च ते तथैव नैव स्वीकृतम्। परिणाम स्वरूपेण तया भरणपोषण अनुदानाय प्रधान— न्यायाधीश—पारिवारिक न्यायालये गाजीपुरे धारा 125 द०प्र०सं० मध्ये एकं वादं प्रस्तुतम्। यत् विविध वाद संख्या 57/2015 (कंचनरावतः प्रति बृजलालः नाम्ना पंजीकृतम्। आवेदक—संख्या एकः न्यायालयप्रधानन्यायाधीशः, पारिवारिक न्यायालये गाजीपुरे संख्या 15 बी0 अन्तरिम भरणपोषण आवेदनमपि प्रदत्तम्, यत् स्वीकृतम् तथा विपक्षी सं0-द्वितीय आदेश दिनांकः 27.06.2017 अन्तर्गते प्रकरणे लम्बिते सति आवेदकेभ्यो भरण-पोषण-भत्तारूपेण ४,००० / रूप्यकाणि मासिकं प्रदानाय निर्देशं कृतम्। पारिवारिक न्यायालयेन दिनांक 27, जून, 2017 पारित अन्तरिम आदेशानुपालने विपक्षी सं० द्वितीयः 2021 यावत् नियमित रूपेण आवेदकेभ्यो दिसम्बर भरणपोषणभत्तायाः भुगतानं कृतम् परञ्च 2022 मध्ये तेन निर्देशानुसारं पारिवारिकन्यायालयस्य इद अन्तरिम-भरण-पोषणभत्तायाः भुगतानं अवरूद्धम्। तदनन्तरम् आवेदकैः अन्तरिम भरणपोषणभत्ता भुगतानाय, प्रधान-न्यायाधीश-पारिवारिक न्यायालयस्य समक्षे आवेदनम् कृतम्। इत्थं कृते सित विपक्षी सं० द्वितीयेन — एक वर्ष—षडमासोपरान्ते आवेदकेभ्यो न्यायालये 4000 / रूप्यकाणि प्रवत्तानि परन्तु दिसम्बर—मासस्य सप्तदश दिनांक 2023 यावत् इदं अन्तरिम—भरणपोषणभत्तायाः शेष धनं 80,000 / रूप्यकाणि आवेदकैः विपक्षी संख्या द्वितीयाय नैव प्रदत्तत्। यस्य परिणामस्वरूपेण प्रधान—न्यायाधीशः पारिवारिक—न्यायालयः विपक्षी सं० द्वितीयं निर्देशितवान यत् सः आवेदकेभ्यो 4000 / रूप्यकाणि मासिकं अन्तरिम—भरण—पोषणभत्ता तथा च 80,000 रूप्यकाणि अन्तरिमभरणपोषणभत्तायाः अवशेषं राशिं रूपेण 10,000 / — रूप्यकाणि प्रतिमासिकं भरणपोषणभत्तारूपेण दद्यात्। परन्तु विपक्षी पक्षसंख्या द्वितीयः नैव 80,000 / —रूप्यकाणि अन्तरिम—भरणपोषण—भत्तायाः अवशेषं उत्तरिम—भरणपोषण—भत्तायाः अवशेष—राशिं दत्तवान् तथा आवेदकेभ्यो भरणपोषणभत्तारूपेण 10,000 / — रूप्यकाणि प्रतिमासिकं नेव दत्तवान्।

- 4. अधुना आवेदकाः धारा 482 द०प्र०सं० अन्तर्गते त्वरित आवेदनमाध्यमेन अयं न्यायालयः प्रार्थितः अतः विविध वाद संख्या 57/2015 कंचनरावतः प्रति बृजलालरावतः धारा 125 द०प्र०सं० पुलिस स्टेशन कोतवाली गाजीपुरः, जनपदः गाजीपुरे उचितं आदेशं पारितं स्यात् तथा विपक्षी संख्या—द्वितीयं आवेदकेभ्यो 80,000/—रूप्यकाणां अन्तरिम भत्तायाः अवशेषं दातुं निर्देशं कर्तुं शक्यते।
- 5. न्यायालयेन वर्तमान—आवेदनस्य योग्यतायाः विषये विचारः कर्तुं पूर्वं विद्वान् ए.जी.ए. धारा 482 द०प्र०सं० इत्यस्य अन्तर्गतं वर्तमान आवेदनस्य निर्वाहक्षमतायां प्रारम्भिकं आक्षेपं कृतवान् अस्ति, यत् मूलतः आवेदकेन धारा 125 द०प्र०सं० इत्यस्य अन्तर्गतं प्रधानन्यायाधीशः, परिवारन्यायालयेन आरब्धस्य प्रकरणस्य अन्तरिम—रक्षण—भत्तेः अनुदानं

याच्य वर्तमान आवेदनं प्रस्तुतम् अस्ति अन्तरिम आदेशस्य निष्पादनम्। परन्तु धारा ४८२ द०प्र०सं० इत्यस्य अन्तर्गतं अधिकारानां प्रयोगं कुर्वन् अयं न्यायालयः धारा १२५ द०प्र०सं० इत्यस्य अन्तर्गतं पारितस्य आदेशस्य निष्पादनार्थं तादृशं आदेशं पारियतुं न शक्नोति यत् स्वयमेव समाहितः न्यायिकः च आदेशः अस्ति। अतः सः प्रस्तुतं करोति यत् वर्तमानः आवेदनः निर्वाहयोग्यः नास्ति, निरस्तीकरणीयः च अस्ति। आवेदकानां कृते उपलब्धः समुचितः उपायः आसीत् यत् धारा १२५ द०प्र०सं० इत्यस्य अन्तर्गतं पारितस्य आदेशस्य निष्पादनार्थं धारा १२८ द०प्र०सं० इत्यस्य अन्तर्गतं पारितस्य आदेशस्य निष्पादनार्थं धारा १२८ द०प्र०सं० इत्यस्य अन्तर्गतं आवेदनपत्रं दातव्यम्।

- 6. उत्तरे आवेदकानां विद्वान् अधिवक्ता महोदयः अवदत् यत् प्रधान—न्यायाधीशेन पारितः आदेशः इति कारणतः धारा 125 द०प्र०सं० इत्यस्य अन्तर्गतं प्रकरणे आवेदकानां पक्षे अन्तरिमं अनुरक्षणभत्तां दातुं परिवारन्यायालयः अन्तरिमः आदेशः अस्ति, अतः धारा— 128 द०प्र०सं० अन्तर्गतं कोऽपि निष्पादन—अनुप्रयोगः दाखिलः कर्तुं न शक्यते। एवं धारा 482 द०प्र०सं० अन्तर्गतं वर्तमानं आवेदनं निर्वाहयोग्यम् अस्ति।
- 7. मया पक्षेभ्यः विद्वान् अधिवक्ता महोदयेन प्रस्तुताः तर्काः विचार्य वर्तमानस्य—

आवेदनस्य अभिलेखाः परीक्षिताः।

- 8. अस्मिन् न्यायालये यः बिन्दु उत्पन्नः सः अस्ति यत् धारा 482 द०प्र०सं० इत्यस्य अन्तर्गतं वर्तमानं आवेदनं, यत् मूलतः धारा 125 द०प्र०सं० इत्यस्य अन्तर्गतं पारितस्य आदेशस्य निष्पादनार्थं दाखिलम् अस्ति, तत् निर्वाहयोग्यम् अस्ति वा नास्ति?
- 9. उपर्युक्त बिन्दौ आगमनात् पूर्वं पुनः धारा 125 द०प्र०सं० उद्धृतुं उचितं भविष्यति।

द्रुतसन्दर्भार्थं अधः उद्धृतम् अस्ति।

" 125, पत्नी—सन्तति—मातापितरौ निर्वाहार्थं

आदेशः। (1) यदि कोऽपि पर्याप्तसाधनयुक्तः

व्यक्ति:- (क) स्वस्य परिपालनं कर्तुं असमर्थः अस्ति, अथवा

- (ख) तस्य वैधस्य अवैधस्य वा नाबालिगस्य, विवाहितः वा न वा, यः आत्मनः पालनाय असमर्थः अस्ति, अथवा.....
- (ग) तस्य वैधस्य अवैधस्य वा बालकस्य (विवाहिता कन्या न भवितुं) यस्य बहुमतं प्राप्तम्, यत्र

तादृशः बालकः कस्यापि शारीरिकस्य मानसिकस्य वा असामान्यतायाः वा चोटस्य वा कारणेन स्वस्य निर्वाहं कर्तुं असमर्थः भवति, अथवा

(घ) स्वस्य परिपालनार्थं असमर्थस्य पितरं वा मातरं वा परिपालियतुं उपेक्षां करोति वा अस्वीकुर्वति वा, ति प्रथमवर्गस्य दण्डाधिकारी तादृशी उपेक्षां वा अस्वीकारं वा सिद्धं कृत्वा निर्देशियतुं शक्नोति यत् एतादृशः व्यक्तिः स्वस्य भरणपोषणार्थं मासिकं भत्तां दातुं शक्नोति पत्नी वा तादृशं बालकं, पिता वा माता वा मासिकदरेण यथा दण्डाधिकारी उचितं मन्यते तथा च तादृशं व्यक्तिं तादृशं भत्तां दातुं शक्नोति यत् दण्डाधिकारी समये समये दातुं निर्देशियतुं शक्नोति।

परन्तु मजिस्ट्रेटः खण्ड (ख) अन्तर्गतं निर्दिष्टं अवयस्क पुत्रयाः पित्रै भत्तां प्रदातुं आदेशः कर्तुं शक्नोति यावत् सा वयस्कः न भवति यदि मजिस्ट्रेटस्य समाधानः भवति यत् सा अवयस्का पुत्रयाः, यदि सा विवाहिता अस्ति एवं पितः पर्याप्त साधनः नास्ति।

अस्यां धाराअन्तर्गतं मासिकभरणपोषण अपरन्च कार्यवाही-अन्तर्गतं मजिस्ट्रेटः इदृशं नरं आदेशं कर्तुं शक्नोति यत् सः सपत्नी तथा इदृशं सन्तानं अथवा पितरौ अन्तरिम–भरणपोषणस्य मासिक भत्तां प्रददातु। यत् मजिस्ट्रेटः उचितं अवगछित तस्य संदायं ईदृशाय नराय करोतु यस्य कृते सः समये – समये निर्देशं करोति।

अपरन्च इदमपि द्वितीय परन्तुकान्तर्गते अन्तरिम पोषणस्य तथा च कार्यवाही व्ययस्य मासिक–भत्तायाः आवेदनस्य सूचना ईदृशं व्यक्तिं तामीलं कृत्वा षष्ठि दिनान्तरगते निस्तारितं करोतु।

स्पष्टीकरणं– अस्य अध्यायस्य प्रयोजनेभ्यः

- (क) अवयस्क—इति अभिप्रेतः यस्मिन् विषये भारतीय वयस्कता अधिनियम:— 1875 इत्यस्य उपबन्धान्तर्गते इदं अवगम्यते यत् सः वयस्कता नैव प्राप्तः।
- (ख) पत्नी इत्यस्य अन्तर्गते यस्याः पतिः तया सहविवाह–विच्छेदः कृतः तथा या पुनर्विवाहः नैव कृतवान।
- भरणपोषणाय अथवा अन्तरिम भरणपोषणाय ईदृशं कोऽपि भत्ता अथवा कार्यवाही व्ययस्य कृते आदेश—दिनांकात्, अथवा ईदृशः कोऽपि आदेशः कृतः तदा भरण–पोषण अथवा अन्तरिम भरणपोषण तथा कार्यवाही व्ययः ईदृशः स्थितिः समुत्पद्यते आवेदनदिनांकात् देयः भविष्यति ।
- यदि कोऽपि नरः यः आदिष्टः वर्तते, तत् आदेशस्य अनुपालने पर्याप्त कारणं विना असफलः भवति तस्य आदेशस्य प्रत्येक-भंग-हेतवे कोऽपि मजिस्ट्रेटः देयस्य धनस्य कृते अनया पद्धत्या उद्गृहीतहेतवे वारण्टस्य आदेशः कर्तुं शक्नोति ईदृशी पद्धतिः अर्थदण्डस्य उद्गृहीतुम् उपबन्धितः अस्ति। तस्य वारण्टस्य निष्पादनोपरान्ते प्रत्येक-मासस्य भुगतानविहीनं भरणपोषणस्य भत्तां अथवा अन्तरिम–भरणपोषणस्य

भत्ता तथा कार्यवाही व्ययस्य ईदृशी स्थिति समुत्पद्यते अथवा तस्य भागस्य कृते ईदृशाय मानवाय एक मास अविध पर्यन्तं अथवा यदि तत् पूर्वमेव भुगतानं क्रियते चेत् भुगतान—पर्यन्तं कारावासस्य दण्डादेशं कर्तुं शक्नोति। परन्तु अस्यां धारायां अन्तर्गते कस्यापि धनं गृहीतुम् कोऽपि वारण्टः तावत् पर्यन्तं नैव कर्तुं शक्यते यावत् पर्यन्तं तस्य धनस्य ग्रहणार्थ, तद्दिनांकात—यस्मिन् दिनांके एक—वर्षान्तर्गते न्यायालये आवेदनं नैव कृतम्।

परन्तु इदमपि च यदि इदृशः व्यक्तिः अस्मिन् आधारे भरणपोषणस्य प्रस्थापनां करोति यत् तस्य पत्नी तेन सह निवासं करोतु तथा च सा पत्या सह निवासं नैव वांछित तदा मिजस्ट्रेटः तया कथिते वक्तव्ये किमपि आधारे विचार कर्तुं शक्नोति तथा ईदृशी प्रस्थापनायाम् ईदृशः विचारः कर्तुम् शक्नोति तथा अस्यां धारान्तर्गते आदेशं कर्तुं शक्नोति। यदि तस्य समाधानं भवति यत् ईदृशं आदेशं दातुं न्याय संगत—आधारः वर्तते।

स्पष्टीकरणम्:— यदि पतिः अन्यस्त्रया सह परिणयं करोति अथवा सः उपपत्नीं स्वीकरोति तदा इदं तस्या पत्न्या तेन सह निवासं न कर्तुं इति न्यायसंगतः आधारः भवति।

- 4. काऽपि पत्नी अस्यां धारान्तर्गते भरणपोषणस्य व्ययः तथा कार्यवाही—व्ययस्य ईदृशी स्थितिः भवेत् प्राप्तं न कर्तुं शक्नोति या सा जारता स्थितौ निवासं करोति अथवा यदि सा पर्याप्तकारणं बिना स्वपत्या सह निवासं न स्वीकरोति अथवा यदि ते पारस्परिक सहमत्या पृथक्—निवास—कुर्वन्ति।
- 5. मजिस्ट्रेटः ईदं प्रमाणिते सति आदेशं निरस्त कर्तुं शक्नोति काऽपि पत्नी अस्यां धारान्तर्गते आदेशः दत्तः जारता–स्थितौ निवासं

करोति अथवा पर्याप्त कारणं बिना स्वपत्या सह निवासं न कर्तुं इच्छति अथवा तौ पारस्परिक—सहमत्या पृथक् — पृथक् निवासं कुरूतः। उत्तर प्रदेश— धारा 125 (क) उपधारा (1) अन्तर्गते पंचशत रूप्यकाणि स्थाने पंचसहस्र रूप्यकाणि प्रतिस्थाप्यते।

- (ख) उपधारा पंचउपरान्ते निम्न षठ अन्तः स्थाप्यते।
- 6. यत्र अस्य धारान्तर्गते कस्यां कार्यवाही अन्तर्गते मजिस्ट्रेटः इत्थं विचारयित यत् भरणपोषणस्य आवेदनकर्तारं तस्य आलम्बनार्थं तथा कार्यवाही इत्यस्य व्ययस्य कृते तत्काल सहायस्य आवश्यकता अस्ति तत्र मजिस्ट्रेटः तस्य आवेदने तस्मै नराय, यस्य विरुद्धं भरण—पोषणस्य वादः प्रस्तुतः आदेशं कर्तुं शक्नोति यत् सः कार्यवाही लम्बिते सित पंचसहस्र रूप्यकाणि यावत् ईदृशः मासिक भत्ता तथा ईदृशी कार्यवाही व्ययं यथा मजिस्ट्रेटः युक्तियुक्तं विचारयित भरणपोषण—आवेदनकर्तारं प्रददातु तथा ईदृशः आदेशः भरणपोषण तुल्यं प्रवितनीयं भविष्यति। अपि च यदि तादृशः व्यक्तिः तस्याः पितः तया सह एव तिष्ठित इति शर्तेन भरणपोषणं दातुं प्रस्तावित, सा च भर्त्रा सह निवासं न करोति तिर्हि तादृशं न्यायाधीशः तया आरोपितं किमपि अस्वीकारस्य आधारं तथा च तादृशं प्रस्तावम् अन्यत् किमपि कृत्वा अपि सः आदेशं दातुं शक्नोति अस्मिन् खण्डे यदि सः सन्तुष्टः अस्ति यत् तादृशक्रमस्य न्याययानि आधाराणि सन्ति।

व्याख्या— यदि पतिः अन्यस्त्रया सह विवाहितः अस्ति अथवा सः अपरां स्त्री स्वीकारं करोति तर्हि इदं तस्याः स्त्रयः न्यायसंगतः आधारः भवितुम् अर्हति।

तदा इदं तस्य पत्नया तेन सह निवासं कर्तुं न्यायसंगत आधारः गण्यते। 10. आपराधिक प्रक्रिया संहितायां धारा 125 मध्ये मातापितरौ, बालकं, मातापितरौ च भरणपोषणस्य व्यवस्था अस्ति। पक्षः धारा 125 इत्यस्य अन्तर्गतं प्रकरणं दाखिलस्य अनन्तरं न्यायालयः प्रतिवादीं अर्थात् पतिं मासिकं भरणपोषणं दत्त्वा स्वपत्न्याः परिपालनं कर्तुं आदेशं दातुं शक्नोति, या स्वस्य परिपालनं कर्तुं असमर्था अस्ति परन्तु अस्य प्रावधानस्य अपवादः अस्ति। भार्यायै भरणपोषणं दातुं पितः विरहस्य अनन्तरं स्वपत्न्याः परिपालनाय पर्याप्तं धनं भवितुमर्हति तथा च सर्वेभ्यः अपि उपिर पत्नी व्यभिचारं न कुर्वती वा भर्त्रा सह विरहेण न जीवित विना पर्याप्तकारणम्। परस्परसम्मत्या पृथक् पृथक् वसन्ति चेदिप पत्नी किमिप भरणपोषणस्य अधिकारिणी न भविष्यति। यदा यदा पक्षे अयं आदेशः क्रियते तदा न्यायालयः इदं सुनिश्चितं करोति यत् पितः भरणपोषणस्य पर्याप्त साधनं अस्ति। न्यायालयः इदं अपि सुनिश्चितं करोति यत् प्रकांति यत् प्रवांति स्वभरण—पोषणं कर्तुं न शक्नोति।

11. अस्य प्रावधानस्य उद्देश्यानि आपत्तयश्च –

अस्य प्रावधानस्य उद्देश्यः आपत्तयश्च धारा 125 अन्तर्गते अन्तिरम— भरणपोषणस्य प्रावधानः अस्ति, यस्यार्थः अस्ति यतः न्यायालये आवेदनं लम्बिते सित मिजिस्ट्रेटेन पत्तये पत्न्यै च मासिक भत्ता प्रदातुं आदेशं, पारितं कर्तुं शक्यते। यदि मिजिस्ट्रेटः अनुभूयते यत् मासिकभत्ता प्रदातुः अथवा ग्रहीतः व्यक्तेः परिस्थितौ कोऽपि परिवर्तनः संजातः तदा सः भरणपोषण राशौ परिवर्तनं कर्तुं शक्यते। भरणपोषणस्य ईदृशं आवेदनं कस्मिञ्चदिष जनपदे दातुं शक्यते, यत्र भुगतानकर्ता व्यक्तिः निवसित अथवा यत्र पत्नी निवासं करोति अथवा यत्र व्यक्तिः अन्तिमसमये पत्न्या माता अथवा बालकैः सह निवासः कुर्वन्नासीत्। दण्ड प्रक्रियायाः धारा 125 कथयति यतः समाजे सामाजिक उद्देश्यः प्राप्तः स्यात्। दण्ड प्रक्रियायाः धारा 125 के. विमल प्रति के. वीरास्वामी 1991 वादे व्याख्यार्पितं आसीत् यतः धारा 125 सामाजिक उद्देश्यं प्राप्तुं प्रस्तुतं आसीत्। अस्य धारायाः उद्देश्यः अस्ति यत् पतिविहीनाय पत्न्यै आवश्यकः आश्रयः भोजनादिक प्रदानेन तस्याः कल्याणकरणं अस्ति। अस्मिन् वादे इदं स्वीकृतमस्ति यत् यदि पत्नी पत्नीरूपेण निवसति तथा पत्तेः पार्थक्यपूर्वं सर्वेशु वर्षेषु तेन सह पत्नीवत व्यवहारः कृतः तथा पत्नी स्वपत्या भरणपोषणेन विज्ञ्चतः न स्यात्।

भरणपोषणस्य अनुदानं सामाजिक न्यायस्य एकः आधारः अस्ति। पुरूषस्य पत्न्याः बालकानां पितरोः घनिष्ठः सम्बन्धिनेभ्यः भरणपोषणस्य दायित्वं अस्ति यदा ते स्वजीविकोपार्जनं कर्तुं अशक्ताः सन्ति। स्त्रीणां बालकानां च स्थितौ परिवर्तनं कुर्वन् अनैतिकतायाः निर्धनतां च वारियतुं भरणपोषणस्य उद्देश्यः अस्ति। दण्ड—प्रक्रियासंहितायाः अपेक्षा अस्ति यत् एक—व्यक्तिः स्वपत्नी वालकानां तथा पितृन् विषये समुदायं प्रतिनैतिककर्तव्यस्य कृते बाध्यं करोति। अयं दायित्वः निस्सन्देह रूपेण वैधानिकः अस्ति तथा व्यक्तौ बाध्यकारी च अस्ति।

भारते सर्वे समुदायाः दण्डप्रक्रिया—संहिताधीनाः सन्ति। अतः ते धर्मनिरपेक्षाः सुरक्षितः सर्वव्यापी च सन्ति। तथा सर्वे धर्मेषु जातिषु तथा पन्थेषु प्रवर्तिता सन्ति। सम्बन्धित—प्रभावित—मानवानां मार्गदर्शनाय नियन्त्रणाय च यानि व्यक्तिगत—विधानानि उपयुज्यते दण्डप्रक्रियायाः धारा 125 प्रावधानानि प्रवर्तनीयानि सन्ति। धारा 125 अन्तर्गते प्रक्रियाः संक्षिप्ताः सन्ति तथा जाति पन्थ—धर्मादिकं भेदभावं परिहाय सर्वेषु प्रवर्तनीयाः सन्तिः। विभिन्न—धर्मावलम्बिनां व्यक्तिगत—विधीनां प्रक्रियाः प्रकृतौ नागरिकाः सन्ति।

दण्ड प्रक्रिया संहितायाः नवमे अध्याये प्राप्तं प्रावधानं उपेक्षित पत्नी पितरौ तथा शिशूनां प्रत्यक्ष – त्वरित प्रभावी च प्रावधान—माध्यमेन पूर्णविनाशं तथा अभावं वर्जयति। दण्डप्रक्रियायाः धारा 125 असामयिक सामाजिक अशान्तिं अवरोद्धं प्रयासं करोति। अयं पतेः नागरिक दायित्वात् प्रथगस्ति। अयं सारांश—प्रक्रियारूपेण कार्यं करोति। अयं पुरूषस्य स्वपत्नी बालकानां वयोवृद्ध पितृन् समर्थनार्थं मौलिक दायित्वं व्यवहारे प्रवर्तयति।

दण्डप्रक्रियायाः धारा 125 अन्तर्गते भरणपोषण प्रावधानस्य मूलिसद्धान्तः अयं अस्ति यत् कश्चनिप पत्नी शिशून् वयोवृद्ध पितरौ अवलम्बिवहीनं कृत्वा न परित्यजेत्। न तु तान् आवश्यकतावशात् अपराध कर्तुं विवशं कुर्यात्। दण्डप्रक्रियायाः धारा 125 माध्यमेन प्रथम श्रेणीकः मिजस्ट्रेटः निर्धनतां निवारियतु त्वरितकार्यवाही कर्त्तुं शक्नोति। 12. धारा 125 दण्डप्रक्रियासंहितायाः उद्देश्यम्—

दण्डप्रक्रियासंहितायाः धारा 125 इत्यस्य उद्देश्यं तान अश्रितानाम् रक्षरार्थं अस्ति ये स्वभरणपोषणे असमर्थाः सन्ति। तान् बुभुक्षादुख—भ्रष्टपथात् रक्षणं अस्ति। इयं सामाजिक न्यायविधिः अस्ति। या विधिः विशिष्ट—रूपेण महिलानां बालकानाम् वयोवृद्धपितृणाम् रक्षणार्थं निर्मितं आसीत्। दण्डप्रक्रिया संहितायाः मुख्यं उद्देश्यम् 1973 वर्षे परित्यक्तं निर्धनपत्नीनां उपेक्षितं परित्यक्तं बालकानां दुर्बलवयोवृद्ध—विकलांग पित्रौ भरणपोषणं अस्ति। परिणामतः अयं प्रावधानः सामाजिक कल्याणं सामाजिक सेवाञ्च वर्धयति। दण्डाधिकारिणः अधिकारः मुख्यरूपेण दण्डात्मकस्थाने निवारकप्रकृतेः भवति।

सिविल विधिवादस्य दीर्घकालीन प्रक्रियां एकं सरलं त्विरतं सीमितउपायेन दूरीकर्तुं शक्यते अयं प्रावधानः इत्थं वर्तते यत् वाध्यतां तेषां कृते अस्ति येषां कर्त्तव्यं स्वाश्रितानां भरणपोषण—करणीयं अस्ति। ये स्वभरणपोषणं अशक्ताः सन्ति। काऽपि पत्नी बालकानां पितृणां भिक्षाटनाय तथा अन्यजनानां अपराधवारणाय अयं प्रावधानः अस्ति। ईदृशः अनुबन्ध यत् इदं दायित्वं उल्लंघयति तथा पत्नीनां बालकानां भरणपोषणस्य अधिकारं पूर्णरूपेण परित्यजित सा विधि न कथितु शक्यते।

13. धारा 125 दण्डप्रक्रियासंहितायाः वैशिष्टयानि—

अतः पूर्वं धारा 125 इत्यस्य निर्माणे विधि शब्दावली विवेचनसमये अधोचर्चा अधिकृत्य कानश्चित वैशिष्टयानि पूर्वमेव उल्लिखितानि। अतः पाठकाः इदानीं भरणपोषण—प्रावधनानां वैशिष्टयानि सम्यक्रीत्या अवगमिष्यन्ति।

14. परिपालनाय पर्याप्तसाधनानाम् आवश्यकता

अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा आवश्यकता अस्ति यत् यावत् व्यक्तिः अन्यस्य व्यक्तिस्य भरणपोषणं दातुं आदेशं दातुं न शक्यते, यावत् तस्य व्यक्तिस्य विरूद्धं दावाः कृताः, तस्य परिपालनाय 'पर्याप्ताः संसाधनाः' न सन्ति तथा च सः तत् उपेक्षां न करोति वा नकारयति वा निर्वाहार्थं पर्याप्तसाधनं नास्ति इति यः वदति सः प्रमाणभारं वहति। सः निरवकाशः इति तथ्यं तस्य आवश्यकतायाः मुक्तिं न करोति। हरदेव सिंह प्रति सरकार (1974) 3 SSC 731 सर्वोच्चन्यायालयेन उक्तं यत् यदि कश्र्चन व्यक्तिः भिक्षुत्वात् एतादृशं भरणपोषणभत्तां दातुं न शक्नोति तर्हि पीतवस्त्रं त्यक्तवा श्रमं कर्तुं तस्य कर्तव्यम् अस्ति उन्नतन्यायालयाः स्वव्याख्यायाम् अधिकं कठोरताम् अवाप्तवन्तः। सामाजिकन्यायघटकः, समाजस्य दुर्बलसदस्यानां, यथा महिलानां, बालकानां, वृद्धानां च रक्षणं च अस्याः व्याख्यायाः कारणरूपेण उद्धृतम् अस्ति।

15. भरणपोषणस्य उपेक्षा अस्वीकारः च

'उपेक्षा' इति पदं मूलतः उत्तरदायित्वस्य उपेक्षां निर्दिशति यत् अनिभप्रेतं वा इच्छया वा भवितुमर्हति तथा च परिपालनस्य निर्वाहं कर्तुं असफलतां निर्दिशति, यद्यपि परिपालकस्य विरूद्धं एतादृशः दावो नास्ति। यत्र तस्य उत्तरदायित्वस्य अनिर्वाहस्य स्पष्टतया उक्तं प्रयोजनं भवति चेत् भरणपोषणस्य अस्वीकारः भवति। एषः अभिप्रायः भर्तुः व्यवहारेण अपि व्यक्तः सूचितः वा भवेत्। एतत् स्थापयितुं दावेदारस्य दायित्वम् अस्ति। तस्याः भर्त्रा सह निवासः प्रारम्भे एव आवश्यकः भवति यत् तस्याः भरणपोषणस्य दावान् कर्तुं शक्नोति, परन्तु केवलं तदा एव यदा दण्डाधिकारी तस्य वैधकारणं मन्यते, उदाहरणार्थं यदि तस्याः पतिः नूतनं पतिं गृहीतवान् तथा च यदि तस्य व्यक्तिगतनियमेन औपचारिकरूपेण अनुमतं भवति, तस्य दावात् एषा शर्तः दूरीकृता भवितुम् अर्हति।

16. अनुरक्षणस्य राशिः

2001 तमे वर्षे संशोधनकानूनसंख्या 50 यावत् दण्डाधिकारी 500 रूप्यकात् अधिकं न भवति इति भरणपोषणं दातुं बाध्यः आसीत्। अधिकतमराशिः सीमा नास्तिः; अपि तु दण्डाधिकारी प्रकरणस्य परिस्थित्यानुसारं मासिकदरस्य निर्णयं कर्तुं स्वतन्त्रः भवति। धारा 127 इत्यस्य अनुसारं समये समये परिवर्तनं भवितुम् अर्हति, परन्तु तत् नियतं, पूर्वानुमानीयं, क्रमेण वर्धमानं च न भवेत्। यदि बालकः पत्नीय एकस्मिनेव व्यक्तौ वादस्य प्रस्तुतीकरण कुरूतः तदा ताभ्यां संयुक्तरूपेण भुगतानं न्याय—विरूद्ध वर्तते। एतद् अतिरक्ष उभयोः वादः चेत् पृथक् पृथक् वर्तते तदा ताभ्यां पृथक् — पृथक् भुगतानं कर्तुं शक्यते।

17. धारा 125 इत्यस्य अन्तर्गतं भरण—पोषणस्य दावेदारः स्वस्य परिपालनं कर्तुं असमर्थः भवितुमर्हति स्त्रियाः स्वस्य परिपालनं कर्तुं असमर्थता भरण—पोषणस्य दावानां आवश्यकतासु अन्यतमम् अस्ति। तस्य स्पष्टया अनुरोधस्य आवश्यकता नास्ति यत् सः स्वस्य परिचर्यायाः अनुमतिं प्राप्नुयात्। परन्तु यदि महिला स्वस्थः, शिक्षिता, अद्यापि स्वस्य पोषणं कर्तुं असमर्था च अस्ति तर्हि सा अद्यापि भरणपोषणं याचियतुम् अर्हति, परन्तु प्रदत्ता राशिः एतासु परिस्थितिषु निर्भरं भविष्यति।

- 18. धारा 126 द0प्र0सं0 धारा 125 द0प्र0सं0 इत्यस्य अन्तर्गतं कस्यापि प्रकरणस्य स्थापनायाः प्रक्रियां निर्धारयति, यदा तु धारा 127 द0प्र0सं0 भत्ते परिवर्तनस्य प्रावधानं करोति।
- 19. वर्तमान विन्दौ निर्णयार्थं धारा 128 द०प्र०सं० इत्यस्य पुनरूत्पादनं सार्थकं भविष्यति, यत्र धारा 125 द०प्र०सं० इत्यस्य अन्तर्गतं पारितस्य अनुरक्षणस्य आदेशस्य, यथा प्रकरणं, प्रवर्तनस्य वा निष्पादनस्य वा प्रावधानं भवति। तत्कालं सन्दर्भार्थं धारा 128 द०प्र०सं० पश्यन्तु। अस्मिन् प्रकारे अस्ति।
- "128. भरण—पोषण—आदेशस्य प्रवर्तनम्। (अनुरक्षणस्य वा अन्तरिम—रक्षणस्य वा कार्यवाही—व्ययस्य च आदेशस्य प्रतिलिपिः, यथा प्रकरणम्) यस्य पक्षे तत् कृतं तस्मै, अभिभावकाय वा, यदि किश्र्चत्, अथवा तस्मै व्यक्तिं प्रति {यस्य कृते कार्यवाहीयाः भरणपोषण, अन्तरिम—भरणपोषण—व्ययस्य भत्ता वा दातव्यः अस्ति}, तथा च एतादृशः आदेशः केनापि दण्डाधिकारिणा प्रवर्तयितुं शक्यते यस्मिन् स्थाने यस्य विरूद्धं तत् क्रियते सः पक्षपरिचयस्य अधीनः भवितुम् अर्हति तथा च (भत्ता, यथा स्यात् व्ययस्य अदत्तता) तादृशेन दण्डाधिकारिणा "एकदा संकल्पः प्राप्तः।
- 20. तत् (धाराणां प्रावधानानाम् उपरि) मनसि कृत्वा अहं सूचियतुम् इच्छामि यत् दण्ड प्रक्रिया संहितायाः धारा—125 इत्यस्य अन्तर्गतं

कार्यवाही अर्धनागरिकः अर्ध—आपराधिकः च अस्ति। अयं नागरिकप्रकृतिः अस्ति, यतः एतत् पक्षानाम् नागरिकाधिकारस्य निर्णयं करोति यत् ते निर्वाहस्य दावान् कर्तुं शक्नुवन्ति। यदा आदेशः यस्य व्यक्तिस्य विरूद्धं कृतः तस्य अनुपालनं न भवति तदा न्यायालयस्य अधिकारः भवति यत् आदेशस्य प्रत्येकं उल्लङ्घनस्य कृते कारावासस्य दण्डं दातुं शक्नोति यत् एकमासपर्यन्तं वा यावत् पूर्वं भुक्तिः न क्रियते तावत्पर्यन्तं अपराधप्रकृतिः अस्ति। व्यापकरूपेण वक्तुं शक्यते यत् कार्यवाही अर्धनागरिकः अर्धअपराधप्रकृतिः च अस्ति।

- 21. यत्र भरणपोषणस्य देयतानिर्देशं कृत्वा आदेशः पारितः भवति तत्र यस्य पक्षस्य पक्षे एतादृशः आदेशः पारितः भवति तस्य विकल्पद्वयं भवति। प्रथमं यत् पक्षः धारा 125(3) द०प्र०सं० इत्यस्य अन्तर्गतं न्यायालयस्य समीपं गन्तुं शक्नोति द्वितीयः विकल्पः धारा 128 द०प्र०सं० इत्यस्य अन्तर्गतं न्यायालयस्य समीपं गन्तुं शक्नोति।
- 22. धारा 125(3) तथा 128 द०प्र०सं० इत्येतयोः तुलना कृता चेत् एतत् संशयात् परं त्यक्ष्यित यत् यावत्पर्यन्तं धारा 125(3) इत्यस्य अन्तर्गतं कार्यवाही इत्यस्य विषयः अस्ति, विधानेन एकवर्षस्य सीमाकालः निर्धारितः अस्ति, यदा तु दण्ड प्रक्रिया संहितायाः—धारा 128 अन्तर्गतं कार्यवाहीविषये कोऽपि सीमाकालः प्रदत्तः नास्ति। अतः कानूनस्य दृष्ट्या निष्कर्षः भवति यत् धारा 128 द०प्र०सं० इत्यस्य आहवानं कृत्वा आदेशस्य प्रवर्तनार्थं कार्यवाही आरभ्यत इति समयसीमा नास्ति यथा धारा 125(3) द०प्र०सं० इत्यस्य अन्तर्गतं कार्यवाही इत्यस्य सन्दर्भे अस्मिन् सीमाकालः अभवत्।
- 23. दण्ड प्रक्रिया संहितायाः अध्याय नवम् एतस्मिनन्तरे संहिता रूपेण संदर्भितः कृतवान। तस्य धारा 128 मध्ये भरण—पोषणस्य आदेशस्य

प्रवंतनार्थं प्रावधानः—अस्ति, परन्तु आदेशः कथं कार्यान्वितः इति कोऽपि प्रावधानःन कृतः।

24. धारा 128 द०प्र०सं० केवलं आदेशस्य प्रतिलिपिं उत्पादनस्य प्रावधानं करोति। इदमपि प्रावधानं करोति यत् एतादृशः आदेशः किस्मन् अपि दण्डाधिकारिणा किस्मन् अपि स्थाने प्रवर्तयितुं शक्यते यत्र यस्य व्यक्तिस्य विरुद्धं आदेशः कृतः सः प्रवर्तनीयः अस्ति, यस्य अर्थः केवलं यत् यत्र सः व्यक्तिः पक्षपरिचयस्य विषये सन्तुष्टः चेत् तस्य स्थानस्य कोऽपि दण्डाधिकारी प्रवर्तयितुं शक्नोति तथा च ऋणं न दत्तम् इति आदेशं प्रवर्तयन्तु। यथा पूर्वं उक्तं यत् अवशेष — राशिः कथं पुनः प्राप्तव्या अर्थात् प्रक्रिया — इति कोऽपि प्रावधानः न कृतः।

25. अस्मिन् विषये अहं सन्देहं कर्तुं नैव इच्छामियत् भारतीय—संविधान—अनुच्छेद 226 इत्यस्य अन्तर्गते सिविल प्रकरणेषु तथा धारा 482 द०प्र०सं० अन्तर्गते आपराधिक प्रकरणेषु उच्चन्यायालयः कस्यापि न्यायालयस्य सत्यतां परीक्षितुम् असाधारण—शक्ति सम्पन्नः वर्तते या कोऽपि वादः भवेत्। अपरन्च कस्यापि अर्ध—न्यायिक—सिविल आदेशः अथवा कोऽपि अर्धन्यायिक—आपराधिक आदेशं विरूद्धं भारतस्य संविधानस्य अनुच्छेद— 226 अन्तर्गते तथा धारा 482 द०प्र०सं० अन्तर्गते काऽपि याचिका स्वीकृतुम् न शक्यते। ईदृशस्य आदेशस्य विरूद्धं केवलं पुनरीक्षणं अथवा भारतस्य संविधानस्य 227 अन्तर्गते याचिका स्वीकृतुम् शक्यते।

26. माननीय सर्वोच्चन्यायालयेन राधेश्यामः इत्यादयः बनाम छवीनाथः अन्ये (2015) 5 एससीसी 423 इत्यस्य प्रकरणे अनुच्छेद 18 मध्ये मतं दत्तं यत् न्यायिक आदेशान् अपील—माध्यमेन अथवा संशोधन—माध्यमेन अथवा भारतस्य संविधानस्य अनुच्छेद 227 इत्यस्य अन्तर्गतं चुनौतीं

दातुं शक्यते भारतसंविधानस्य अनुच्छेद 226, 32 च अन्तर्गतं रिट् माध्यमेन न शक्नोति।

27. अहं माननीय—सर्वोच्चन्यायालयस्य उपर्युक्तनिर्णयस्य कण्डिका संख्या एकादश तथा च 25 इत्यस्य अपि उल्लेखं कर्तुं शक्नोमि, यत्र स्पष्टं कृतम् अस्ति यत् सिविलन्यायालयसदृशानां न्यायिकन्यायालयानाम् आदेशाः प्राधिकारिणानाम् तथा न्यायाधिकारिणनाम् व न्यायालयानाम् न्यायिकादेशात् भिन्नरूपेण सन्ति। कण्डिका 25 मध्ये माननीय—सर्वोच्चन्यायालयेन अग्रे मतं दत्तं यत् "अवरन्यायालयाः" इति अभिव्यक्ति न्यायिकन्यायालयानाम् उल्लेखं न करोति।

28. तत्कालं सन्दर्भार्थं उपर्युक्तनिर्णयस्य अनुच्छेदः 25 यथा पठ्यते— "सत्यं यत् अस्मिन् न्यायालये इङ्ग्लैण्डदेशे विशेषाधिकारिट् सम्बद्धा—तकनीकीविषयाणि इति ज्ञातम् अस्माकं संवैधानिकयोजनायाः अन्तर्गतं प्रकरणानाम् कोऽपि भूमिका नास्ति। भारते राजान्यायालयस्य समानान्तरव्यवस्था नास्ति तथा च अन्ये सर्वे सीमितक्षेत्रस्य न्यायालयाः राजान्यायालयस्य पर्यवेक्षणस्य अधीनाः सन्ति।

। संविधानस्य अथवा कानूनानां अन्तर्गतं न्यायालयाः स्थापितः भवन्ति। उच्चन्यायालयस्य अधिकारक्षेत्रे सर्वाणि न्यायालयाः तस्य अधीनाः सन्ति, अनुच्छेद 227 इत्यस्य अन्तर्गतं तस्य नियन्त्रणस्य, पर्यवेक्षणस्य च अधीनाः सन्ति। संवैधानिकरूपेण सर्वेभ्यः उच्चन्यायालयेभ्यः रिट्—अधिकारक्षेत्रं प्रदत्तम् अस्ति। इङ्ग्लैण्ड्देशे स्वीकृताः रिट्—अधिकारक्षेत्रस्य व्यापक—सिद्धान्ताः भारते अपि प्रवर्तन्ते तथा च न्यायिक—अधिकारिणां अतिरिक्तानां न्यायाधिकरणानाम् अथवा प्राधिकारिणां वा न्यायालयानाम् आदेशानां विरूद्धं रिट् आफ् सेर्टिओरेरी च प्रवर्तन्ते ये स्पष्टतया त्रुटिपूर्णाः अथवा न्यायक्षेत्रं विना सन्ति।

उच्चन्यायालयाः अधीनस्थन्यायालयेभ्यः रिट् निर्गच्छन्ति इति भारते कोऽपि पूर्वानुमानः नास्ति। स्वन्यायिक आदेशेषु अधीनस्थ न्यायालयानां कार्यप्रणालीं अधिकृत्य नियन्त्रणं अनुच्छेद — 227 अन्तर्गते अपीलीय अथवा पुनरीक्षण—शक्तिभिः अथवा अधीक्षण—शक्ति माध्यमेन क्रियते। सिविल न्यायालस्य आदेशः न्यायिक सिविल न्यायालयात अतिरिक्य न्यायिकअधिकरिणेभ्यः तथा न्यायालयेभ्यः भिन्न रूपेण भवन्ति। परन्तु अपीलीय अथवा पुनरीक्षण—क्षेत्राधिकारः विधिना विनियमितः भवति। अनुच्छेद 227 अन्तर्गते अधीक्षणस्य शक्तिः संवैधानिकः अस्ति। "अवर न्यायालयः" अभिव्यक्ति न्यायिक न्यायालयानां सन्दर्भितः नास्ति। यथा उपर्युक्तं उद्धृतं कण्डिका 26 तथा च कण्डिका 27 अन्तर्गते आदेशे सत्य रूपेण अवलोकितम्।

29. द०प्र०संहितायाः धारा 125—128 प्रावधानैः सह राधेश्याम (सुप्रा) प्रकरणे माननीय सर्वोच्च न्यायालस्य निर्णस्य अनुसारेण मम् चिन्तनं वर्तते यत् यतोहि प्रधान—न्यायाधीशः पारिवारिक—न्यायालयेन धारा 125 अन्तर्गते आवेदकेभ्यो अंतरिभरणपोषणस्य आदेशः पारितः आसीत्। यतोहि इदं एकं अर्धन्यायिक—सिविल तथा आपराधिक—आदेशः वर्तते। अस्मात् कारणात् अस्य क्रियान्वयनं अथवा निरस्तीकरणं उभौ अपि धारा— 482 द०प्र०सं० अन्तर्गते कोऽपि आवेदनः स्वीकार्यः नारित।

30. परिणामे आवेदकैः परिवारन्यायालयस्य अन्तरिमं भरणपोषणभत्ताप्रदानस्य आदेशस्य प्रवर्तनार्थं प्रस्तुतः वर्तमानः आवेदनः निरस्तः भवति। आवेदकानां कृते उपलब्धः समुचितः उपायः अस्ति यत् धारा 128 द०प्र०सं० इत्यस्य अन्तर्गतं परिवारन्यायालयस्य समीपं गन्तुम्।

आदेशः दिनाकः 11.7.24

शिवशंकर प्रसादः न्यायाधीशः